दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1050/2022
मां परमेश्वरी फ्युल्स वि0 रवि ध्रुव

08/02/2024 परिवादी द्वारा श्री राकेश देवांगन अधिवक्ता उपस्थित।
परिवादी का गैर हाजरी माफी आवेदन पेश, विचार बाद स्वीकृत।
अभियुक्त रवि ध्रुव अनुपस्थित।
प्रकरण अभियुक्त रवि ध्रुव की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट तामिल अदम तामिल वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण दिनांक 05/09/2022 से लंबित है। प्रकरण उपस्थिति हेतु नियत किया है। अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 28/08/2023, 09/10/2023, 21/11/2023, 11/12/2023, 09/01/2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु परिवादी के द्वारा नियमित रूप से तलवाना अदा किया जाता रहा है। अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट तामिल अदम तामिल वापस प्राप्त नहीं। प्रकरण के लंबन अवस्था को देखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को चलाने से धन और समय का अपव्यय होगा। अभियुक्त के भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त रवि ध्रुव के विरूद्ध धारा 299 द.प्र.सं. के तहत कार्यवाही किया जा कर अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।

स्थायी गिरफ्तारी वारंट में यह टीप अंकित किया जावे कि अभियुक्त के गिरफ्तार होने की स्थिति में परिवादी को सूचित किया जावे।

अभियुक्त रवि ध्रुव के विरूद्ध धारा 82, 83 द0प्रं0सं0 का आवेदन अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस संबंध मे कार्यवाही नहीं किया गया है।

प्रकरण को सुरक्षित रखने के टीप के साथ अभिलेखागार प्रेषित किया जावें।

सही/–
(जनक कुमार हिड़को)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी,
कुरूद, जिला धमतरी छ0ग0